राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः डीसी/विधि/2015/267 दिनांक :– 21-12-2015

प्रभारी, सर्वर रूम,
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
मुख्यालय, जयपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 687/11 सरकार बनाम लाईफ प्लास्ट इण्डस्ट्रीज में पारित निर्णय की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा ने उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में दिनांक 20.11.2015 को आदेश पारित किया है जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श करते हुये समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान को ई–मेल भी करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (07)

औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

9099
1-12-15

नकल-निर्णय

प्रति हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी

7P न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम – 5 कोटा
ACJM-5

पीठासीन अधिकारी : दीपक दुबे, आर0जे0एस0

औषधि नियंत्रण अधिकारी कोटा

DEC 2015

नं0फौ0सं0 687 / 11

राजस्थान राज्य परिवादी

बनाम

(1) मैसर्स लाईफ प्लास्ट इण्डस्ट्रीज, 304/2, II फेज, जी.आई.डी.सी. वाटवा अहमदाबाद– 382445 जरिये मालिक एवं योग्य व्यक्ति श्री अनिल राधाकृष्ण शर्मा निवासी 14 प्रभू कुन्ज सोसायटी, मनीगर, अहमदाबाद– 380008
(2) मैसर्स राजवैद्य आर.के. शर्मा एण्ड कम्पनी, 304/2, II फेज, जी.आई.डी.सी. वाटवा अहमदाबाद– 382445 जरिये मालिक एवं योग्य व्यक्ति श्री अनिल राधाकृष्ण शर्मा निवासी 14 प्रभू कुन्ज सोसायटी, मनीगर, अहमदाबाद– 380008
(3) श्री अनिल राधाकृष्ण शर्मा आत्मज राधाकृष्ण गोकुलदास शर्मा, मालिक एवं योग्य व्यक्ति फर्म मैसर्स लाइफ प्लास्ट इण्डस्ट्रीज एवं मै. राजवैद्य आर.के. शर्मा एण्ड कम्पनी 304/2, II फेज, जी. आई.डी.सी. वाटवा अहमदाबाद– 382445, निवासी 14 प्रभू कुन्ज सोसायटी, मनीगर, अहमदाबाद– 380008 (मफरूर दिनांक 8.1.13)
(4) मैसर्स मेडीकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जगदीश होटल के पास, लाडपुरा कोटा, जरिये मालिक श्री सत्येन्द्र कुमार गर्ग, निवासी 4–डब्ल्यू–2 तलवण्डी कोटा
(5) श्री सत्येन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री मदनलाल गर्ग, मालिक मैसर्स मेडीकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जगदीश होटल के पास, लाडपुरा कोटा, निवास पता 4–डब्ल्यू–2 तलवण्डी कोटा

अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 18(a)(i)/27(d) सपठित धारा 16(1)(a) व 17, 18(a) (i)/27(b)(i) सपठित धारा 17A (e), 16(1) (a), 18(a)(i)/27(c) सपठित धारा 17B(b)16(1) (a),18(a)(i)/27(a) सपठित धारा 16(1)(a) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940

उपस्थित – स0लो0अ0
श्री सत्यनारायण सुमन, अधिवक्ता मुलजिम सत्येन्द्र कुमार गर्ग की ओर से

निर्णय दिनांक 20–11–15

सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अनिल राधाकृष्ण मफरूर है एवं यह निर्णय अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार गर्ग के संबंध में किया जा रहा है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य अनुसार फरियादी डॉ. मनोज कुमार त्रिपाठी, औषधि निरीक्षक कोटा ने न्यायालय के समक्ष परिवाद इस आशय का प्रस्ततुत किया कि श्री आर.एस. ठाकुर, तत्कालीन औषधि निरीक्षक कोटा ने दिनांक 12–12–91 को फर्म मैसर्स मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स कोटा अभियुक्त फर्म संख्या 4 का निरीक्षण फर्म मालिक श्री सत्येन्द्र कुमार गर्ग अभियुक्त संख्या 5 की उपस्थिति में किया। जिस दौरान बिक्री हेतु संग्रहित स्टाक में से एक औषधि Set Mona Super Infusion set ETO sterile B.no. 1010 अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार से जरिये बिल रूपये 316 से कय किया गया। नमूने को 4 बराबर भागों में बांट कर चार अलग अलग पेकिटों में सीलबंद करके उन पर सत्येन्द्र कुमार के हस्ताक्षर करवा कर, मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी। मौका निरीक्षण रिपोर्ट, नमूने का एक भाग, फार्म नंबर 17 की प्रति अभियुक्त सत्येन्द्र को मौके पर दी गयी। फर्म ने जरिये रसीद भुगतान 316/–रू. का प्राप्त किया। उक्त नमूने का एक भाग फार्म

सत्य प्रतिलिपि

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

5 DEC 2015

20.11.15
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम–5, कोटा

नंबर 18 पर राजकीय विश्लेषक, सेन्ट्रल इण्डियन फार्माकापीया लेबोरेट्री गाजियाबाद को वास्ते जॉच हेतु नियमानुसार प्रेषित किया गया । जिसकी रिपोर्ट औषधि नियंत्रक एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिवार कल्याण राज. जयपुर से जरिये पत्र प्राप्त हुई तदनुसार उक्त औषधि को अवमानक कोटि का घोषित किया गया। फर्म अभियुक्त संख्या 4 को उक्त टेस्ट रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की गयी जिसको अभियुक्त संख्या 5 सत्येन्द्र ने प्राप्त किया एवं रसीद प्रदान की। अभियुक्त संख्या 4 की ओर से अभियुक्त संख्या 5 ने दिनांक 7-1-93 द्वारा जानकारियॉ प्रदान की। फरियादी द्वारा जॉच रिपोर्ट एवं सीलबंद नमूने के एक भाग को अभियुक्त संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड पार्सल प्रेषित किया एवं जिसका जवाब नहीं आने पर पुनः रजिस्टर्ड स्मरण पत्र जारी किया गया तत्पश्चात अभियुक्त संख्या 1 का जवाब जरिये पत्र प्राप्त हुआ। फरियादी द्वारा नियंत्रण प्राधिकारी एवं उप औषधि नियंत्रक राज. जयपुर को जरिये पत्र समस्त कार्यवाही एवं जवाब आदि बाबत सूचित किया गया, जिनके द्वारा प्रकरण में सभी अभियुक्तगण के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी। फरियादी ने दिनांक 1-11-95 को श्री दिनेश एम. पटेल सीनीयर ड्रग इंसपेक्टर फूड एण्ड ड्रग कन्ट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभियुक्त फर्म संख्या 1 एवं अभियुक्त फर्म संख्या 2 की उपस्थिति में रिपोर्ट बनायी तत्पश्चात उक्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 18(a)(i)/27(d) सपठित धारा 16(1)(a) व 17, 18(a)(i)/27(b)(i) सपठित धारा 17A (e), 16(1) (a), 18(a)(i)/27(c) सपठित धारा 17B(b)16(1)(a),18(a)(i)/27(a) सपठित धारा 16(1)(a) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में न्यायलाय में परिवाद प्रस्तुत किया गया ।

आरोप पूर्व साक्ष्य में पी0ड0 1 रघुवीर सिंह ठाकुर, पी0ड0 2 मनोज कुमार त्रिपाठी के बयान लेखबद्ध किये गये।

आरोप बहस सुनी जाकर मुलजिम सत्येन्द्र कुमार गर्ग को धारा 27(d), 27(b)(i), 27(c), 27(a) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का आरोप सुनाया समझाया गया, अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही ।

दिनांक 5.11.15 को विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार गर्ग द्वारा धारा 246(4)दण्ड प्रकिया संहिता के तहत आरोप पूर्व परीक्षित साक्षीगण से अब आरोप लगने के बाद पुनः प्रतिपरीक्षण से इन्कार किया गया एवं अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य कोई अभियोजन साक्षी को पेश करने से इन्कार किया गया, अतः अभियोजन साक्ष्य बंद की गयी।

बयान मुलजिम धारा 313 द0प्र0स0 लिये गये । सफाई साक्ष्य पेश नहीं की गयी ।

बहस अंतिम सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि

(1)क्या अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार की दुकान मै. मेडीकल डिस्ट्रीब्यूटर्स जगदीश होटल के पास -लाडपुरा कोटा का दिनांक 12-12-91 को श्री आर.एस. ठाकुर तत्कालीन औषधि निरीक्षक कोटा द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति में उसकी उक्त दुकान का निरीक्षण करने पर 1000 सेट Mona Super Infusion set ETO sterile B.no. 1010 को प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार स्टेरिलिटी एवं पाईरोजेनेसिटी में अनुरूप नहीं पाये जाने पर फाल्स क्लेमयुक्त होने से मिसब्रांडेड औषधि एवं अमानक कोटि की औषधि का विक्रय एवं संग्रह किया जाना पाया गया ?

(2)उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त की दुकान से श्री आर.एस. ठाकुर तत्कालीन औषधि निरीक्षक कोटा द्वारा दौराने निरीक्षण जब्त किये गये 1000 सेट Mona Super Infusion set ETO sterile B.no. 1010 की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के अनुसार स्टेरिलिटी एवं पाईरोजेनेसिटी

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
20.11.15

- 5 DEC 2015

मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर अडल्ट्रेटेड औषधि का विक्रय एवं संग्रह किया जाना पाया गया ?

3– उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त की दुकान से श्री आर.एस. ठाकुर तत्कालीन औषधि निरीक्षक कोटा द्वारा दौराने निरीक्षण जब्त किये गये 1000 सेट Mona Super Infusion set ETO sterile को लेबल पर दिखाया गया था परंतु यह स्टेराईल व पाईरोजन फ्री नहीं थ । इस प्रकार Mona Super Infusion set ETO sterile की आईडेंटिटि भ्रामक व इसके ट्र केरेक्टर से भिन्न अंकित होने से उक्त स्यूरियस औषधि होना पाया गया ?

4–उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त की दुकान से श्री आर.एस. ठाकुर तत्कालीन औषधि निरीक्षक कोटा द्वारा दौराने निरीक्षण जब्त किये गये 1000 सेट Mona Super Infusion set ETO sterile को अवमानक कोटि का विक्रय व संग्रह करते हुए पाया गया ?

यदि उक्त बिन्दू मुलजिम के विरूद्ध तय किया जाता है तो वह किस दण्ड का भागीदार है ?

दौराने बहस विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया है कि विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत जब्ती की कार्यवाही कर जो नमूना लिया गया, उसका राजकीय विश्लेषक से परीक्षण कराने पर वह मानक के स्तर पर नहीं पाया गया एवं उसको अपायकर एवं मिलावटी पाया गया, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अभियोजन पक्षने अपने साक्षीगण के माध्यम से परिवाद में उल्लिखित सभी तथ्यों को सन्देह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे ।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने अपने बचाव में कथन किया है कि अभियोजन को हिदायत पैरवी नहीं दी गयी थी बावजूद इसके प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने पैरवी की है। अवमानक स्तर की पायी गयी औषधि किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में नहीं लायी गयी थी। सेम्पल अवमानक स्तर का पाये जाने पर सभी दवाईयाँ दुकानदरों से मंगवा ली गयी थी, जिसके संबंध में पत्रावली पर पत्र प्रदर्श पी. 16 संलग्न है ऐसी स्थिति में अभियुक्त संख्या 4 एवं 5 के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है। हस्तगत प्रकरण में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में निम्न कमियॉं पायी गयी हैं :–

(1) सेम्पल लेने की कार्यवाही दिनांक 12–12–91 को की गयी थी जबकि सेम्पल राजकीय विश्लेषक केन्द्रीय प्रयोगशाला गाजियाबाद को दिनांक 26–2–1992 को विलम्ब से क्यों प्रेषित किया गया इसका कारण स्पष्ट नहीं है। //

(2) एफएफएल से सेम्पल सुपुर्द करने की कोई प्राप्ति रसीद और साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि जो औषधि जब्त की गयी थी वह एफएसएल पुहुँची और पहुँची तो किस अवस्था में थी। अभियोजन को साबित करना था कि वह सेम्पल सीलबंद अवस्था में एफएसएल पहुँचा था। //

(3) अभियुक्त क्रम 4 एवं 5 के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई औषधि का निर्माण नहीं किया जाता है ऐसे में यदि प्रश्नगत मेडिकल इन्स्ट्रूमेन्ट या दवा मिलावटी एवं अपायकर मानक स्तर की नहीं है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। //

(4) निर्माता कम्पनी को सेम्पल मानक स्तर के नहीं पाये जाने की सूचना राजकीय विश्लेषक केन्द्रीय प्रयोगशाला गाजियाबाद की रिपोर्ट दिनांक 15–9–1992 को प्राप्त होने के बाद भी दिनांक 25–7–1994 को क्यों प्रेषित की गयी। स्पष्ट है कि यदि निर्माता कम्पनी विहित अवधि में सेम्पल प्राप्त कर लेती तो पुनः जॉच के अपने विधिक अधिकार का प्रयोग कर सकती थी, जिससे उसे वंचित किया गया है। \\/\\

अतः अभियोजन का प्रकरण सन्देहास्पद है ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जावे। Sd/-
20.1.15

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम–5, कोटा

- DEC 2018

उभय पक्ष की बहस के आलोक में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

पी.ड. 1 रघुवीर सिंह ठाकुर तत्कालीन औषधि निरीक्षक, ने अपने बयानों में मुख्य परीक्षण में दिनांक 12-12-1991 को फर्म मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर जगदीश होटल के पास लाडपुरा कोटा का निरीक्षण करने पर वहाँ पर सत्येन्द्र कुमार गर्ग मालिक की उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण किया एवं Mona Super Infusion set की मानक दवा के 72 सेट, 316/-रू. की कीमत के खरीदे, जिसकी इनवाइस की प्रति प्रदर्श पी. 2 है, जिस पर फर्म मालिक सत्येन्द्र कुमार गर्ग के हस्ताक्षर भी प्रदर्शित कराये गये हैं। उक्त कयशुदा माल इनफ्यूजन सेट के चार सेम्पल 18-18 बनाये गये, जिनको अलग-अलग बंद कर सील मोहर किया गया एवं नमूना लेने बाबत फार्म नंबर 17 पर फर्म मालिक सत्येन्द्र कुमार के हस्ताक्षर कराये गये। फार्म नंबर 18 पर नमूना सील अंकित कर राजकीय विश्लेषक केन्द्रीय प्रयोगशाला गाजियाबाद को प्रेषित किया गया, जहाँ से रिपोर्ट प्रदर्श पी. 9 के माध्यम से प्रदर्श पी. 11 प्राप्त हुई जिसमें सेम्पल PYROGEN AND STERILITY जाँच में सही नहीं पाये गये, जिसकी विधिवत सूचना रिपोर्ट दिनांक 15-9-92 को प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 30-12-1992 को अभियुक्त कम-5 को जो कि अभियुक्त कम-4 फर्म का मालिक है को प्रेषित कर दी थी, जो प्रदर्श पी. 12 है, जिस पर प्राप्ति हस्ताक्षर इ से एफ अभियुक्त कम-5 के उल्लिखित हैं। निर्माता कम्पनी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभियुक्त कम-5 को जरिये प्रदर्श पी. 13 पत्र जारी किया गया, जिसके कम में निर्माता कम्पनी का विवरण प्राप्त हुआ, इसी कम में प्रदर्श पी. 14 से निर्माता कम्पनी को सेम्पल मानक स्तर का नहीं पाये जाने की सूचना प्रेषित की गयी, जिसका स्मरण पत्र दिनांक 27-3-95 को प्रेषित किया गया। इस समस्त के पश्चात पी.ड. 1 रघुवीर सिंह ठाकुर का स्थानान्तरण हो जाने से पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही पी.ड. 2 मनोज कुमार त्रिपाठी के द्वारा की गयी।

उक्त साक्षी ने जिरह में ऐसे किसी भी तथ्य का खण्डन नहीं किया है, जो परिवाद प्रदर्श पी. 2 में उल्लिखित तथ्यों का खण्डन करता हो या औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में बतायी गयी प्रकिया में किसी प्रकार की अनियमितता दर्शाता हो।

पी.ड. 2 मनोज कुमार त्रिपाठी ने अपने बयानो में जाहिर किया है कि दिनांक 17.12.92 को राजकीय विश्लेषक केन्द्रीय प्रयोगशाला गाजियाबाद की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 11 प्राप्त हो गयी थी जिसमें लिया गया सेम्पल कनफर्म नहीं हुआ था। परीक्षण रिपोर्ट की प्रति दिनांक 30.12.92 को सत्येन्द्र कुमार गर्ग मालिक अभियुक्त कम-4 फर्म मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेषित कर दी गयी थी, जिसके बाबत उसके द्वारा दिनांक 7-1-1993 को दस्तावेज आदि की फोटोप्रतियाँ पेश कर दी गयी थी, जिसमें उसने दवा/आई.वी. इनफ्यूजन आइटम की निर्माता कम्पनी की जानकारी दे दी थी, तत्पश्चात निर्माता कम्पनी को भी कमशः प्रदर्श पी. 14 एवं 15 से इस बाबत सूचना पंजीकृत डाक से कर दी गयी थी, तत्पश्चात नियंत्रण प्राधिकारी एवं उप औषधि नियंत्रक राज. जयपुर ने अपने आदेश कमांक 875 दिनांक 16-7-1995 के द्वारा मुझ अभियोगी को उक्त प्रकरण में समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

उक्त साक्षी ने यह भी जाहिर किया है कि उसके द्वारा दिनांक 1-11-95 को निर्माता कम्पनी अभियुक्त कम 1 लगायत 3 की जाँच के लिए अभियुक्त कम-3 निर्माता कम्पनी के मालिक के समक्ष अवमानक घोषित प्रश्नगत औषधि बाबत जानकारी प्राप्त की थी, उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 21 है। उक्त रिपोर्ट से अभियुक्तगण को अवगत करवा दिया गया था, जिनके हस्ताक्षर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 21 के अंतिम पृष्ठ पर इ से एफ एवं जी से एच उपलब्ध है। अंततः अभियुक्त कम-1 लगायत 5 के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर परिवाद न्यायालय में पेश किया और प्रश्नगत औषधि का सीलबंद अवस्था में लिया गया सेम्पल न्यायालय में जमा

20.11.15
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम-5, कोटा

जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
5 DEC 2015

कराया, जिसका पत्र पत्रावली में संलग्न है और अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 27 ;ंद्ध ओषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाते हुए परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया।

उक्त साक्षी ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि सेम्पल उसने नहीं लिया इसलिए उसकी मात्रा के बारे में वह नहीं बता सकता। अभियुक्त कम–4 एवं 5 के मालिक ने अभियुक्त कम–2 से हजार मात्रा में औषधि खरीदी थी। सेम्पल केवल 72 लिये गये। अभियुक्त कम–4 एवं 5, अभियुक्त कम–1 लाईफ प्लास्ट इण्डस्ट्री वाटवा, के स्वामी नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जहॉं तक इस विषय पर आपत्ति पेश की है कि सेम्पल लेने और जमा कराने की प्रकिया त्रुटिपूर्ण रही है जबकि प्रदर्श पी. 5 के अन्दर पी.डब्ल्यू. 1 रघुवीर सिंह ने समस्त स्थितियों का खुलासा किया है। प्रदर्श पी. 2 इनवास से विवादित दवा खरीदना और प्रदर्श पी. 3 भुगतान रसीद से, उक्त खरीद एव अवमानक स्तर की दवा की रसीद प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवा कर उक्त दवा अभियुक्त कम–4 एवं 5 से खरीदने का प्रारंभिक सबूत पेश किया है। फार्म नंबर 17 प्रदर्श पी. 4 से तत्कालीन औषधि निरीक्षक पी.ड. 1 रघुवीर सिंह ने अभियुक्त को अवगत कराते हुए उक्त खरीदशुदा दवा में से सेम्पल सीलबंद किये हैं, जिसकी नमूना सील प्रदर्श पी. 4 पर अंकित है, जिसे दौराने साक्ष्य न्यायालय के समक्ष सीलबंद अवस्था में पेश किया गया था, जिसमें से 18 इन इनफ्यूजन सेट निकले, जो साक्षी ने सेम्पल सीलबंद करते समय प्रदर्श पी. 4 एवं 5 में उल्लेखित किया है। इसके अलावा इस बात से अभियुक्त कम–5 अवगत था, इस बात का अंकन प्रदर्श पी. 4 की पुश्त पर अंकित इ से एफ एवं जी से एच से प्रदर्शित होती है। प्रदर्श पी. 7 सेम्पल को राजकीय विश्लेषक केन्द्रीय प्रयोगशाला गाजियाबाद को भेजे जाने का प्रमाण है।

यह सही है कि सेम्पल जब्ती के चार दिवस बाद प्रेषित किये गये हैं लेकिन इसका कोई विपरीत प्रभाव प्रकरण पर पड़ता हो ऐसी कोई सन्देह विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त उत्पन्न करने में सफल नहीं हुए है। सेम्पल रिपोर्ट प्रदर्श पी. 11 विवादित एवं अवमानक स्तर की दवा के संबंध में रिपोर्ट है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि राजकीय विश्लेषक केन्द्रीय प्रयोगशाला गाजियाबाद के विश्लेषक एच.सी. गुप्ता को अभियोजन पक्ष ने परीक्षित नहीं करवाया है।

यहॉं यह उल्लेखनीय है कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 293 के अनुसार ऐसे मामलों में रासायनिक परीक्षक, जो कि विशेषज्ञ होता है, के द्वारा भेजी गयी कोई रिपोर्ट, जो सम्यक रूप से भेजी गयी हो और स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित होना तत्पर्यित हो, साक्ष्य के तौर पर प्रयोग में लाई जा सकती है और ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो विशेषज्ञ को सम्मन कर सकता है।

विचारण के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त विशेषज्ञ को तलब करने का कोई आक्षेप न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया है और न न्यायालय ने उस विशेषज्ञ को तलब किया जाना अपेक्षित पाया था। परिणामतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क जो कि प्रदर्श पी. 11 सेम्पल रिपोर्ट के संबध में प्रस्तुत किया गया है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

प्रदर्श पी. 12 सेम्पल के अवमानक होने की सूचना दिनांक 15–9–1992 को प्राप्त होने के 15 दिवस में ही अभियुक्त कम–5 को प्रेषित कर दी गयी थी, जो प्रदर्श पी. 12 से परिलक्षित होता है, जिस पर इ से एफ अभियुक्त कम–5 के हस्ताक्षर उसके प्राप्त होने की पुष्टि करते हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–5, कोटा

सत्य प्रतिलिपि जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
5 DEC 2015

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि प्रदर्श पी. 14 एवं 15 राजकीय विश्लेषक केन्द्रीय प्रयोगशाला गाजियाबाद की रिपोर्ट के प्राप्त होने के करीब डेढ़ साल बाद प्रेषित की गयी है, के संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि इससे अभियुक्त कम–4 एवं 5 के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उसे अपने बचाव पेश करना है।

धारा 27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 अवमानक स्तर की दवा के संबंध में एवं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध लागू होगी जो ऐसी दवाओं का निर्माण करते हैं, वितरण करते हैं, बेचान करते हैं, उसका स्टाक रखते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं और विकय एवं वितरण के लिए प्रदर्शित करते है।

धारा 25 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, प्रदर्श पी. 11 राजकीय विश्लेषक केन्द्रीय प्रयोगशाला गाजियाबाद की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 11 के संबंध में अभियुक्त को सेम्पल का पुनः परीक्षण कराने का अधिकार प्रदान करती है कि अभियुक्त ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 28 दिवस में अपना बचाव या अपनी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है किन्तु प्रदर्श पी. 11 जो दिनांक 30–12–1992 को अभियुक्त को अवगत कराने के लिए प्रेषित की गयी थी, प्राप्त होने के 28 दिवस में अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से प्राप्त अवसर का उपयोग नहीं किया गया है और न ही कोई ऐसी साक्ष्य बचाव में प्रस्तुत की है, जो सेम्पल लिये जाने की प्रकिया, सेम्पल की रिपोर्ट और प्राधिकृत औषधि निरीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही में अनियमितता दर्शाती हो या उसमें कोई सन्देह उत्पन्न करती हो। ऐसे में जब औषधि निरीक्षक द्वारा दिनांक 12–12–1991 को जॉच के दौरान अभियुक्त के पास अवमानक स्तर का इनफ्यूजन सेट पाया गया तो धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत लिये गये बयान मुलजिम में अभियुक्त का यह कह देना कि कम्पनी ने सेट बेचा नहीं वापस मंगा लिये थे, कोई बचाव प्रदान नहीं करता क्योंकि अभियुक्त कम–4 एवं 5 के पास से बरामद दवा को औषधि निरीक्षक द्वारा पैसे देकर खरीदा गया था। इस प्रकार उसके द्वारा औषधि निरीक्षक को यदि अवमानक स्तर की दवा बेची गयी, बेचने के लिए अपने पास रखी गयी, उसका स्टाक रखा गया, जो कि धारा 27 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, के तहत दण्डनीय अपराध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार गर्ग के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा अवमानक कोटि की Mona Super Infusion set ETO sterile का विकय एवं संग्रह किया, जो कि sterile नहीं थे और इनके माध्यम से अन्य जीवन रक्षक आषधि/इनफयूजन फ्लूड आदि सीधे रोगी के रक्त में इनजेक्ट किया जाता तो वह मानव जीवन के लिए प्राणघातक हो सकता था। इस प्रकार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 27(a) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का अपराध प्रमाणित पाया जाता है। इसी प्रकार अभियुक्त के द्वारा अडल्ट्रेटेड औषधि का विकय एवं संग्रह कर धारा 27(b)(i) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का अपराध कारित किया गया है, अभियुक्त द्वारा स्पूरियस औषधि का विकय एवं संग्रह कर धारा 27(c) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का अपराध कारित किया गया है एवं अवमानक कोटि एवं मिसब्रांडेड औषधि का विकय एवं संग्रह कर धारा 27(d) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त सत्येन्द्र कुमार गर्ग को अपराध अन्तर्गत धारा 27(d), 27(b)(i), 27(c), 27(a) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 दोषसिद्ध किया जाता है।

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
25 DEC 2015

20.11.15
(दीपक दुबे)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम – 5 कोटा

सजा के बिन्दू पर सुना गया।

20.11.15
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कम–5, कोटा

विद्वान अधिवक्ता मुलजिम ने निवेदन किया कि मुलजिम द्वारा इनफयूजन सेट को काम में नहीं लिया गया था और न कोई विक्रय किया गया था इसलिए उसके साथ नरमी का रूख अपनाया जावे। स0लो0अ0 ने विरोध किया ।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त यह कह कर नरमी का पात्र नहीं बन सकता है कि उसने जब्तशुदा इनफयूजन सेट का विक्रय नहीं किया था और वह ज्यों के त्यों उसके पास पड़े हुए थे, बल्कि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसके पास से जो इनफयूजन सेट बरामद हुए हैं वे खतरनाक अवस्था में, जिनका उपयोग करने से मानव जीवन तक संकटापन्न हो सकता था। यदि अभियुक्त के साथ नरमी का रूख अपनाया गया तो इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा मिलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः अभियुक्त को कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

दण्डादेश

अतः अभियुक्त श्री सत्येन्द्र कुमार गर्ग पुत्र श्री मदनलाल गर्ग, मालिक मैसर्स मेडीकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, जगदीश होटल के पास, लाडपुरा कोटा, निवास पता 4–डब्ल्यू–2 तलवण्डी कोटा दोषसिद्ध अपराधों में निम्नानुसार दण्डित किया जाता है :–

धारा	दण्ड
धारा 27(a) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940	पॉच वर्ष का साधारण कारावास एवं 10000/–रू. अर्थदण्ड, अदम अदायगी 2 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे
धारा 27(b)(i) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940	एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/–रू. अर्थदण्ड, अदम अदायगी एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे
धारा 27(c) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940	तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/–रू. अर्थदण्ड, अदम अदायगी एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे
धारा 27(d) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940	एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/–रू. अर्थदण्ड, अदम अदायगी एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे

उपरोक्त सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी।

मुलजिम द्वारा पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि मूल संजा में समायोजित की जावेगी । मुलजिम का सजा वारण्ट बनाया जावे । मुलजिम को नकल निर्णय निः शुल्क प्रदान की जावे। अभियुक्त के उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

पत्रावली में अभियुक्त मुसिल राधाकृष्ण मफरूर है। अतः पत्रावली के सरवरक पर लाल स्याही से पत्रावली को सुरक्षित रखने बाबत नोट अंकित किया जावे। प्रकरण से संबंधित माल को सुरक्षित रखा जावे।

20.11.15
(दीपक दुबे)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम – 5 कोटा

निर्णय आज दिनांक 20.11.15 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

20.11.15
(दीपक दुबे)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम – 5 कोटा

मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा
5 DEC 2015